EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3—SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1034—1063

Dated 5-6-99

उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF INDUSTRY

(सरकारी उद्यम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 1999

सा.का.नि. 168.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (1) वित्त मंत्रालय सरकारी उद्यम कार्यालय, रिकार्ड सार्टर भर्ती नियमावली, 1985 तथा (2) उद्योग मंत्रालय, सरकारी उद्यम कार्यालय, पुस्तकालय परिचर भर्ती नियमावली, 1987 को अधिक्रमित करते हुए, इस अधिक्रमण के पूर्व जो चीजें की जा चुकी हैं अथवा जो छूट गई हैं उनको छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा उद्योग मंत्रालय सरकारी उद्यम विभाग में समूह "ग" के पदों पर भर्ती के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भः—(1) इन नियमों को उद्योग मंत्रालय, सरकारी उद्यम विभाग समूह "ग" के पदों पर भर्ती हेतु नियमावली, 1999 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोगः—इन नियमावलियों का अनुप्रयोग इन नियमावलियों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए किया जाएगा।

3. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमानः—कथित पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे जुड़े वेतनमान कथित अनुसूची के कालम 2 से 4 तक के विनिर्देशों के अनुसार होंगे।

4. भर्ती की विधि आयु सीमा, अर्हताएं आदि :—भर्ती की विधि तथा आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबद्ध अन्य मुद्दे उपरिलिखित अनुसूची के कालम 5 से 14 तक के विनिर्देशों के अनुसार होंगे।

5. अनर्हताएंः—कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा संविदागत विवाह किया हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, अथवा :

(ख) जिसने एक जीवन साथी के जीवित रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह अथवा संविदागत विवाह किया हो, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

किन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और उससे विवाह करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाला स्वीय विधि के अंतर्गत इस प्रकार के विवाह की अनुमति दी जा सकती है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. छूट देने की शक्ति :—जिस मामले में केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि इन नियमों के किसी उपबंध में किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में छूट देना आवश्यक या उचित हो, वहां उसके लिए लिखित रूप में कारण बताकर छूट का आदेश दे सकती है।

7. व्यावृत्तिः—केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए जो आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतें प्रदान की जाती हैं उन पर इन नियमों के कारण किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1586 Industry/99—1

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन-सह-वरीयता पद है अथवा गुणावगुण के आधार पर चयन किया जाना है	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. स्टाफ कार चालक (ग्रेड I)	1* (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन सम्भव	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय)	4500-125-7000	अचयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विहित आयु सीमा एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों के मामले में भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन या पुनर्नियोजन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/पुनर्नियोजन की स्थिति में वे ग्रेड जिनसे आमेलन/पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन किया जाना है
11	12
पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति :— ऐसे स्टाफ कार चालक (ग्रेड—II) जिन्होंने ग्रेड में 6 वर्षों की नियमित सेवा की हो, ऐसा नहीं होने पर ऐसे स्टाफ कार चालक (ग्रेड—II) जिन्होंने स्टाफ कार चालक (ग्रेड—II) तथा सामान्य स्टाफ कार

12

चालक के ग्रेड में 15 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा की हो और जिन्होंने :—

(क) इस उद्देश्य के लिए आयोजित व्यवसाय परीक्षण, जिसका पाठ्यक्रम निम्नलिखित होगा, उत्तीर्ण किया हो :—

(i) अंग्रेजी के अंकों एवं आंकड़ों को पढ़ने की योग्यता आवश्यक है ;

(ii) यातायात विनियमों का अच्छा ज्ञान आवश्यक है ;

(iii) खराबियों को ढूंढ़ पाने तथा मामूली चालू मरम्मत कर पाने की योग्यता आवश्यक है ;

(iv) टायरों को बदलने तथा सही ढंग से हवा भर पाने की योग्यता अनिवार्य है ।

(ख) उपर्युक्त (i) से (iv) के आधार पर प्रायोगिक परीक्षण ।

टिप्पणी :—यदि पदोन्नति के लिए कनिष्ठ उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा हो तो पदोन्नति के लिए उससे वरिष्ठ सभी उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाएगा और ऐसा इस तथ्य के बावजूद होगा कि उन्होंने अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी नहीं की हो, बशर्ते कि उन्होंने उस ग्रेड में परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि कोई विभागीय समिति है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
13	14
समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :— (1) निदेशक/उप सचिव सरकारी उद्यम विभाग —अध्यक्ष (2) अवर सचिव सरकारी उद्यम विभाग —सदस्य (3) उप निदेशक सरकारी उद्यम विभाग —सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
2. स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II)	सामान्य ग्रेड में पदधारकों की योग्यता के आधार पर	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अलिपिक-वर्गीय	4000-100-6000 रु.	अचयन पद	नहीं	लागू नहीं

8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

11	12
पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति :—

12

पदोन्नति :—

ऐसे स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) जिन्होंने कम-से-कम 9 वर्षों की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने :–

(क) इस उद्देश्य के लिए आयोजित व्यवसाय परीक्षण, जिसका पाठ्यक्रम निम्नलिखित होगा, उत्तीर्ण किया हो :—

(i) अंग्रेजी के अंकों एवं आंकड़ों को पढ़ने की योग्यता आवश्यक है ;

(ii) यातायात विनियमों का अच्छा ज्ञान आवश्यक है ;

(iii) खराबियों को ढूंढ़ पाने तथा मामूली चालू मरम्मत कर पाने की योग्यता आवश्यक है,

(iv) टायरों को बदलने तथा सही ढंग से हवा भर पाने की योग्यता अनिवार्य है।

(ख) उपर्युक्त (i) से (iv) के आधार पर प्रायोगिक परीक्षण

टिप्पणी :—यदि पदोन्नति के लिए कनिष्ठ उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा हो तो पदोन्नति के लिए उससे वरिष्ठ सभी उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाएगा और ऐसा इस तथ्य के बावजूद होगा कि उन्होंने अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी नहीं की हो, बशर्ते कि उन्होंने उस ग्रेड में परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

13	14
समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—	लागू नहीं

1. निदेशक/उप सचिव,
   सरकारी उद्यम विभाग —अध्यक्ष
2. अवर सचिव
   सरकारी उद्यम विभाग —सदस्य
3. उप निदेशक
   सरकारी उद्यम विभाग —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
3. स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)	2*(1999) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तन संभव	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय)	3050-75-3950-80-4590 रुपए	लागू नहीं	नहीं	25 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलनीय केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष) टिप्पणी–1 : आयु सीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख भारत के उम्मीदवारों के लिए आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (और अंतिम तारीख उन उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नहीं होगी जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप प्रभाग तथा अण्डमान एवं निकोबार संघ क्षेत्र अथवा लक्षद्वीप संघ क्षेत्र में रहते हों। टिप्पणी–2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु निर्धारण की तारीख वह होगी जिस तारीख को रोजगार कार्यालयों को उम्मीदवारों को नामित करने के लिए कहा जाएगा।

8	9	10
अनिवार्य :— (i) मोटर कार के लिए वैध लाइसेंस रखता हो। (ii) मोटर क्रियाविधि का ज्ञान हो (उम्मीदवारों को वाहन की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए)। (iii) मोटर कार चलाने का कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव हो। वांछनीय : (1) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।	लागू नहीं	दो वर्ष

8	9	10
टिप्पणी 1 :—अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी/केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार योग्यताएं शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 2 :—यदि चयन के किसी चरण में संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी/केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उक्त समुदाय के अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवार मिल पाने की संभावना नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी/केन्द्रीय सरकार अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं को शिथिल कर सकती है।		

11	12
प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन/आमेलन द्वारा और ऐसा नहीं होने पर सीधी भर्ती।	प्रतिनियुक्ति पर/आमेलन : सरकारी उद्यम विभाग के ऐसे नियमित सवार हरकारा (समूह "ग") तथा समूह "घ" के कर्मचारियों में से जिन्हें मोटर गाड़ी चलाने की दक्षता के मूल्यांकन के लिए आयोजित गाड़ी चालन परीक्षण के आधार पर वैध ड्राईविंग लाइसेंस दिया गया हो और ऐसा नहीं होने पर नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण करने वाले कर्मचारियों में से अथवा कॉलम 8 में उल्लिखित आवश्यक योग्यताओं को पूरा करने वाले केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के समूह "घ" के कर्मचारियों में से। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :— सशस्त्र सेना के ऐसे कार्मिक जो सेवानिवृत्ति होने वाले हैं अथवा जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में अंतरित किया जाना हो और जिनके पास अपेक्षित अनुभव व विहित योग्यता हो, उन पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र सेना से कार्यमुक्त किया जाना हो और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर रखा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि :— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
विभागीय पदोन्नति समिति (संपुष्टि पर विचार के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :— 1. निदेशक/उप सचिव सरकारी उद्यम विभाग—अध्यक्ष 2. अवर सचिव, सरकारी उद्यम विभाग —सदस्य 3. सरकारी उद्यम विभाग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उप निदेशक/सहायक निदेशक —सदस्य	लागू नहीं।

1	2	3	4	5	6	7
4 पुस्तकालय परिचर	1* (1999) *कार्यभार के के अनुसार परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय	3050-75-3950-80-4590 रुपए	लागू नहीं	लागू नहीं	18—25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलनीय) (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष तक) टिप्पणी 1 आयु सीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख भारत के उम्मीदवारों के लिए आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी और अंतिम तारीख उन उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नहीं होगी जो (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-प्रभाग तथा अण्डमान एवं निकोबार संघ क्षेत्र अथवा लक्षद्वीप संघ क्षेत्र में रहते हों)। टिप्पणी. 2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु निर्धारण की तारीख को रोजगार कार्यालयों को उम्मीदवारों को नामित करने के लिए कहा जाएगा।

8	9	10
(1) मैट्रिक या इसके तुल्य (2) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालयाध्यक्षता में प्रमाण-पत्र	लागू नहीं	दो वर्ष

11	12
पदोन्नति द्वारा और ऐसा नहीं होने पर सीधी भर्ती।	पदोन्नति :— दफ्तरी के ग्रेड के ऐसे कर्मचारी जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हों और उस ग्रेड में कम-से-कम 4 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें रिकार्डों के रख रखाव और सुधार कार्य का अनुभव हो।

13	14
विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :— 1. निदेशक/उप सचिव, सरकारी उद्यम विभाग —अध्यक्ष 2. अवर सचिव, सरकारी उद्यम विभाग —सदस्य 3. उप निदेशक, सरकारी उद्यम विभाग —सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
5. रिकार्ड सार्टर	1* (1999) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय	3050-75-3950-80-4590 रुपए	चयन-सह वरिष्ठता	लागू नहीं	लागू नहीं

8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष

11	12
पदोन्नति द्वारा	सरकारी उद्यम विभाग के ऐसे दफ्तरी तथा जमादार जिन्होंने उस ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने मिडिल स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ऐसा नहीं होने पर सरकारी उद्यम विभाग के ऐसे चपरासी जिन्होंने उस ग्रेड में आठ वर्षों की नियमित सेवा की हो तथा जो मिडिल स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो।

13	14
समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :-- 1. उप सचिव/निदेशक (प्रशासन) सरकारी उद्यम विभाग --अध्यक्ष 2. अवर सचिव, सरकारी उद्यम विभाग --सदस्य 3. उप निदेशक, सरकारी उद्यम विभाग --सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
6. सवार हरकारा	1* (1999) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा (समूह "ग") अराजपत्रित अलिपिक-वर्गीय	3050-75-3950-80-4590 रुपए	लागू नहीं	लागू नहीं	25 वर्षों से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलनीय) (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष)। टिप्पणी 1. आयु सीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख भारत के उम्मीदवारों के लिए आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (और अंतिम तारीख उन उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नहीं होगी जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-प्रभाग तथा अण्डमान एवं निकोबार संघ क्षेत्र अथवा लक्षद्वीप संघ क्षेत्र में रहते हैं। टिप्पणी 2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु निर्धारण की तारीख वह होगी जिस तारीख को रोजगार कार्यालयों को उम्मीदवारों को नामित करने के लिए कहा जाएगा।

8	9	10
अनिवार्य : 1. मोटर साईकिल/ऑटो रिक्शा चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो। 2. मोटर साईकिल/ऑटो रिक्शा चलाने का दो वर्ष का अनुभव। 3. अंग्रेजी तथा हिन्दी में पढ़ने व लिखने की योग्यता वांछनीय : आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। टिप्पणी 1. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी/केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार योग्यताएं शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 2. यदि चयन के किसी चरण में संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी/केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उक्त समुदाय के अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवार मिल पाने की संभावना नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी/केन्द्रीय सरकार अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं को शिथिल कर सकती है।	लागू नहीं	दो वर्ष

11	12
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और ऐसा नहीं होने पर सीधी भर्ती	प्रतिनियुक्ति पर/आमेलन : सरकारी उद्यम विभाग के समूह "घ" के ऐसे कर्मचारियों में से जिन्हें मोटर साइकिल/ऑटो रिक्शा चलाने की दक्षता के मूल्यांकन के लिए आयोजित गाड़ी चालन परीक्षा के आधार पर वैध ड्राईविंग लाइसेंस दिया गया हो और ऐसा नहीं होने पर समूह "घ" के कर्मचारियों में से अथवा केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में सवार हरकारा का पद धारण करने वालों में से। प्रतिनियुक्ति की अवधि :— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति (सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों की संपुष्टि के लिए) 1. निदेशक/उप सचिव सरकारी उद्यम विभाग —अध्यक्ष 2. अवर सचिव, सरकारी उद्यम विभाग —सदस्य 3. सरकारी उद्यम विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उप निदेशक/सहायक निदेशक —सदस्य	लागू नहीं

[संख्या ए-12018/1/98-प्रशासन]

सी. सी. उण्णिकृष्णन, उप सचिव

(Department of Public Enterprises)

New Delhi, the 18th May, 1999

S.R. 168.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of (1) the Ministry of Finance, Bureau of Public Enterprises, Record Sorter Recruitment Rules, 1985 and (2) the Minisrty of Industry, Bureau of Public Enterpises, Library Attendant Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Ministry of Industry, Department of Public Enterprises, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Industry, Department of Public Enterprises Group 'C' posts Recruitment Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and qualification, etc.—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of he opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
1. Staff Car Driver (Grade I)	1* (1999) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 4500-125-7000

Whether selection-cum-seniority or selection by merit	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit direct recruits
5	6	7
Non-Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption or by re-employment and percentage of post to be filled by various methods
8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption/re-employment, grades from which absorption/promotion/deputation/re-employment to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion: Staff Car Driver (Grade II) with 6 years' regular service in the grade, failing which Staff Car Driver (Grade II) with 15 years' combined regular service in the grades of Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (ordinary grade), who passes— (a) trade test to be conducted for this purpose, the syllabus of which shall be as follows:— (i) must be able to read English numerals and figures; (ii) must have good knowledge of traffic regulations; (iii) must be able to locate faults and carry out minor running repairs; (iv) must be able to change and correctly inflate tyres; and (b) practical test, based on (i) to (iv) above. Note : In case Juniors are considered for promotion, all persons senior to them shall also be considered for promotion, notwithstanding the fact that they have not completed the requisite qualifying service, provided that they have successfully completed the probation period in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising of:— (1) Director/Deputy Secretary, Department of Public Enterprises —Chairman (2) Under Secretary, Department of Public Enterprises—Member (3) Deputy Director, Department of Public Enterprises—Member	Not applicable

1	2	3	4
2. Staff Car Driver (Grade II)	Depending upon the eligibility of the incumbent in the ordinary grade.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000

5	6	7
Non-Selection	No	Not applicable

8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion

12	13	14
Promotion : Staff Car Driver (ordinary grade) who has rendered not less than 9 years regular service in the grade, who passes— (a) trade test to be conducted for this purpose, the syllabus of which shall be as follows:— (i) must be able to read English numerals and figures; (ii) must have good knowledge of traffic regulations; (iii) must be able to locate faults and carry out minor running repairs; (iv) must be able to change and correctly inflate tyres; and (b) practical test, based on (i) to (iv) above. Note : In case Juniors are considered for promotion, all persons senior to them shall also be considered for promotion, notwithstanding the fact that they have not completed the requisite qualifying service, provided that they have successfully completed the probation period in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee—comprising of:— 1. Director/Deputy Secretary, Department of Public Enterprises—Chairman 2. Under Secretary, Department of Public Enterprises—Member 3. Deputy Director, Department of Public Enterprises—Member	Not applicable

1	2	3	4
3. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	2* (1999) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 3050-75-3950-80-4590/.

5	6	7
Not applicable	No	Not exceeding 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of 35 years. 40 years in case of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep. Note : 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchanges shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates.

8	9	10	11
Essential: (i) Possession of a valid driving licence for motor cars. (ii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles). (iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years. Desirable: (i) A pass in the 8th standard. Note : 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission/Staff Selection Commission/ Competent Authority/Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note : 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission/Staff Selection Commission/Competent Authority/Central Government in the case of candidates belonging	Not applicable	Two years	By deputation/re-employment/absorption, failing which by direct recruitment.

8
to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission/Staff Selection Commission/ Competent Authority/Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

12	13	14
On deputation/absorption: From amongst the regular despatch riders (Group 'C') and Group 'D' employees in the Department of Public Enterprises who possess valid driving licence for motor cars on the basis of a driving test to assess their competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of despatch riders on regular basis or regular Group 'D' employees in other ministries of the Central Government, who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column 8. For ex-servicemen on deputation/re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Period of deputation: Period of deputation including the period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations/ departments of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) comprising of:— 1. Director/Deputy Secretary, Department of Public Enterprises—Chairman 2. Under Secretary, Department of Public Enterprises—Member 3. Deputy Director/Assistant Director, Department of Public Enterprises belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes.—Member	Not applicable

1	2	3	4
4. Library Attendant	*1 (1999) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590/-.

1586 In

5	6	7
Not applicable	Not applicable	Between 18-25 years (Relaxable for Govt. servants upto 35 years. (40 years in case of Scheduled Caste/Scheduled Tribes candidates) in accordance with the instructions issued by the Central Government. Note : 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). Note : 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchanges shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates.

8	9	10	11
(i) Matriculation or equivalent. (ii) Certificate in Library Science/ Librarianship from a recognised Institution.	Not applicable	Two years	By promotion, failing which by direct recruitment

12	13	14
Promotion: From officers in the grade of Daftries who have passed 10th Standard and have rendered at least four years continuous service in that grade and have experience in maintaining records and correction work.	Departmental Promotion Committee comprising of:— 1. Director/Deputy Secretary, Department of Public Enterprises—Chairman 2. Under Secretary, Department of Public Enterprises—Member 3. Deputy Director, Department of Public Enterprises—Member	Not applicable

1	2	3	4
5. Record Sorter	1* (1999) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590/-

5	6	7
Selection-cum-Seniority	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion

12	13	14
Daftries and Jamadars of Department of Public Enterprises who have rendered six years regular service in the grade and have passed Middle School Standard failing which Peons of Department of Public Enterprises who have rendered eight years regular service in the grade and have passed Middle School Standard.	Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising of:— 1. Deputy Secretary/Director (Administration), Department of Public Enterprises—Chairman 2. Under Secretary, Department of Public Enterprises—Member 3. Deputy Director, Department of Public Enterprises—Member	Not applicable

1	2	3	4
6. Despatch Rider	1* (1999) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service (Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590/-

5	6	7
Not applicable	Not applicable	Not exceeding 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of 35 years (40 years in case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates) in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu &

7
Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). Note : 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchanges shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates.

8	9	10	11
Essential: 1. Possession of a valid driving licence for motor cycle/autorickshaws. 2. Two years experience of driving motor cycle/autorickshaw. 3. Ability to read and write English as well as Hindi. Desirable: A pass in the eighth standard. Note : 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission/Staff Selection Commission/Competent Authority/Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note : 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission/Staff Selection Commission/Competent Authority/Central Government in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission/Staff Selection Commission/Competent Authority/Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years	By deputation/absorption failing which by direct recruitment.

12	13	14
On deputation/absorption: From amongst Group 'D' employees in the Department of Public Enterprises, who possess a valid driving licence for motor	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of direct recruits) 1. Director/Deputy Secretary, Department	Not applicable

12	13	14
cycle/autorikshaw on the basis of the driving test to assess their competence to drive their vehicle, failing which Group 'D' employees or officials holding the post of Despatch Rider in other Ministries of the Central Government. Period of deputation: Period of deputation/contract, including the period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceeding the appointment in the same or some other organisations/departments of the Central Government, shall ordinarily not exceed 3 years.	of Public Enterprises—Chairman 2. Under Secretary, Department of Public Enterprises—Member 3. Deputy Director/Assistant Director Department of Public Enterprises belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe —Member	Not applicable

Group-D / MTS

[No. A-12018/2/98-Admn.]

C.C. UNNIKRISHNAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 मई, 1999